159

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद अमेठी।

पत्रांक– मु0चि0अ0/नियुक्ति/आयुष्मान/2019–20/ 1162 दिनांक– 15-06-19

प्रेस–विज्ञप्ति

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 2212/पांच–6–2018, चिकित्सा अनुभाग–6 दिनांक 27 जुलाई 2018 एवं पत्र संख्या 2259/पांच–6–2018–5(19)/2018 टी0सी0–1 चिकित्सा अनुभाग–6 दिनांक 27 जुलाई 2018 के क्रम में आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अन्तर्गत जनपद स्तर पर क्रियान्वयन हेतु संयुक्त जिला चिकित्सालय, गौरीगंज तथा सामु0स्वा0केन्द्र जगदीशपुर जनपद अमेठी में आयुष्मान मित्र के 01–01 रिक्त पद की तैनाती हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 01.07.2019 की सायं 05:00 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद अमेठी में पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक द्वारा आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा। साक्षात्कार दिनांक 08.07.2019 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद अमेठी में किया जायेगा।

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	आरक्षण की स्थिति		पद हेतु शैक्षिक योग्यता	मानदेय रू0 प्रति माह
			आरक्षित	अनारक्षित		
1	आयुष्मान मित्र	02	01	01	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातककी डिग्री 2. हिन्दी, अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा का अच्छा ज्ञान 3. कम्प्यूटर तथा इंटरनेट पोर्टल पर कार्य करने में सक्षम। (योग्य आशा कार्यकत्री अथवा महिला अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी)	रू0 5000/– प्रतिमाह एवं प्रोत्साहन रू0 50/– प्रति लाभार्थी

नियुक्ति की शर्तेः–

1. संविदा की नियुक्ति निर्धारित अवधि दिनांक 31.03.2020 तक संविदा पर की जायेगी।
2. संविदा पर अधिकतम 65 तक की आयु के शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य अभ्यर्थी चयन हेतु अर्ह होगें।
3. आरक्षित श्रेणी के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियां उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरी जायेगी, रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।
4. प्राप्त आवेदनों पर चयन समिति के माध्यम से स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी। साक्षात्कार के समय सभी मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा और न ही अलग से सूचित किया जायेगा।
5. एक मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नही होगी।
6. इस नियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति पाने का कोई दावा मान्य नही होगा।
7. कार्य, व्यवहार व आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवाएं तुरन्त समाप्त की जा सकेगी।
8. किसी भी दशा में किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण नही किया जायेगा।
9. संविदा कर्मी किसी भी प्रकार के लाभ के हकदार नही होगें।
10. चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा तथा नियुक्ति से सम्बन्धित सभी विधिक विवादों का निस्तारण स्थानीय जिला न्यायालय, सुलतानपुर के जूरिसडिक्शन के अधीन होगा।
11. आरक्षण राजकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
12. विज्ञापन का विवरण जनपद अमेठी की वेवसाइट www.amethi.nic.in पर उपलब्ध है। किसी प्रकार की परिवर्तन की सूचना उपरोक्त वेवसाइट पर दी जायेगी।

RM

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद अमेठी।

<u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

विभाग का नाम– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विज्ञापन संख्या ....
आवेदित पद का नाम ....

अभ्यर्थी के राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित फोटो

1. अभ्यर्थी का नाम ....
2. पिता/पति नाम ....
3. जन्म तिथि ....
4. लिंग पुरूष .... महिला ....
5. जाति .... उपजाति ....
6. मोबाइल नं0 ....
7. पत्र व्यवहार का पता ....
8. स्थानीय पता (निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
9. शैक्षिक योग्यता का क्रमवार विवरणः–

क्र0सं0	बोर्ड/संस्था/विश्व विद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	विषय

सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

10. अनुभव अवधि .... संस्था का नाम .... (प्रमाण पत्र सहित)
11. संलग्नकों की संख्या ....

<u>घोषणा–पत्र</u>

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवदेन पत्र में दिये गये सूचनार्थ सत्य व सही है, किसी भी तथ्य को छिपाया नही गया है, कोई प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जाये मुझे कोई आपत्ति नही होगी। किसी भी न्यायालय में वाद प्रेषित नही करूगा/करूगीं, मुझे पुलिस द्वारा कभी निरूद्ध नही किया गया/गयी हूँ और न ही न्यायालय में कोई वाद लमबित है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, पता एवं
दिनांक सहित